बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक 21.08.2016 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के परिप्रेक्ष्य में गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलो में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यो की संबंधित जिला पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यो पर संतोष व्यक्त किया गया तथा समीक्षोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये:–

1. बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को अविलम्ब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकालकर राहत शिविरों में लाया जाय तथा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राहत शिविरों का संचालन किया जाय। राहत शिविरों में लोगों के लिए पका हुआ भोजन पीने का पानी पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय, लागों के स्वास्थ्य जाँच, आवश्यक दवाएँ, साफ–सफाई एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
2. राहत शिविरों में लोगों को पका हुआ भोजन दिलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में थाली, कटोरा, ग्लास एवं लोटा का क्रय/ व्यवस्था करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए कपड़ा की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महिलाओं के लिए साड़ी, साया, ब्लाउज तथा पुरूषों के लिए धोती/लूंगी, गंजी एवं गमछी का क्रय/व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। इन सामग्रियों पर होने वाले व्यय की पूर्ति मुख्य मंत्री राहत कोष से की जायेगी।
3. पानी के तेज बहाव को देखते हुए बाढ़ प्रभावित गाँवों/ टोलों से पशुओं को सुरक्षित बाहर निकालकर पशु शिविरों में लाने हेतु बड़ी नावों का उपयोग करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी बड़ी नावों का किराया तथा नाविकों का पारिश्रमिक तय कर दें ताकि नावों के परिचालन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।
4. निदेश दिया गया है कि जिन नावों का परिचालन सरकार द्वारा कराया जा रहा है उन पर लाल झंडा टंगा रहे। साथ ही उन पर नाव की लदान क्षमता के